

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]

भोपाल, गुरुवार दिनांक 21 जून 2018—ज्येष्ठ 31, शक 1940

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2018

क्रमांक 1434-1441-2018-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री अरूण कुमार सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सागर तथा भोपाल संभाग में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की शक्तियों एवं कर्तव्यों को निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

F. No. 1434-1441-2018-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 read with second proviso to sub-section (2) of the said Section of the the Madhya Pradesh Motor Vehicles, Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, authorizes Shri Arun Kumar Singh, Regional Transport Officer to discharge the powers and functions of Regional Transport Authority in Sagar and Bhopal Division till further order.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.